अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान एक्सक्यूशन वाद संख्या– 08/2001–02
बैंक ऑफ इंडिया, मझगाँव।
वनाम
अब्दुल करीम एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख

आदेश

यह वाद दिनांक– 24.07.2001 को शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, शाखा+पो०+थाना– मझगाँव, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा बैंक से लिये गये ऋण के वापसी हेतु देनदार 1. अब्दुल करीम, पिता– मो० इशहाक, 2. मो० अख्तर अंसारी, पिता– No Known, निवासी ग्राम– खड़पोस, पो०+थाना– मझगाँव, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में वादी की ओर से लम्बे समय से नोटिस मिलने के बाद भी पैरवी नहीं की जा रही है। प्रतिवादी को नोटिस मिलने के बाद दिनांक– 25.11.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। इसके बाद सुनवाई हेतु कई तिथि गुजर जाने के बाद किसी भी तिथि पर उनके ओर से अपना पक्ष नहीं रखा जाता है। इससे प्रतीत होता है की वादी प्रतिवादी को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

22.03.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

22.03.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.03.26 17:25:48 +05:30
Location: 10.93.66.34

Scanned with CamScanner